न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 185/2011
GCMS : 2011/00258

–:: प्रार्थी ::–

1. जगदेव प्रसाद पुत्र शंकरदास
2. कृपादास पुत्र शंकरदास के कायम मुकाम
   2/1 विमला बेवा कृपादास
   2/2 पदमा पुत्री कृपादास
   2/3 सीमा पुत्री कृपादास
   2/4 प्रियंका पुत्री कृपादास
3. भरतदास पुत्र शंकरदास
   जाति– साद, निवासी– खराड़ी, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. दुर्गादास पुत्र शंकरदास
2. मोतीदास पुत्र शंकरदास
3. सुरेशदास पुत्र शंकरदास
4. सीतादेवी पुत्री शंकरदास
5. इन्द्रादेवी पुत्री शंकरदास
   जाति– साद, निवासी– खराड़ी,
5. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण तहसील– जैतारण, जिला – पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 21/10/2011**

उपस्थित:. 1. श्री चुतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चावण्ड दान बाहरठ, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 02/11/2020**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खराड़ी में सायलान व गैरसायल संख्या एक से पांच की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन निम्न लिखित खसरा नम्बर की आई हुई है:– खसरा नम्बर 59 रकबा 11–05 बीघा किस्म, खसरा नम्बर 61 रकबा 09–02 किस्म , खसरा नम्बर 97 रकबा 09–14 खसरा नम्बर 786 रकबा 09–04 बीघा किस्म, खसरा नम्बर 939 रकबा 07–15 बीघा किस्म, उपरोक्त भूमि पर सायलान व गैर सायलान संख्या एक से तीन अपने 1/6 हिस्से अनुसार मौके पर काश्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी की नकल व ट्रेस नक्शा की नकल प्रार्थना के साथ पेश की जा रही है। मुतनाजा भूमि का मौके पर 6 हिस्से किये हुऐ है प्रतिवादी संख्या चार सीतादेवी व प्रतिवादी संख्या पांच इन्द्रादेवी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है क्योंकि उक्त दोनों बहिनें अपने अपने ससुराल रणसीगांव व जसनगर रहती है। वही पर उनकी चल एवं अचल सम्पति है तथा सायलान व गैरसायलान की माता सुगनीदेवी का भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है लेकिन सुगनीदेवी का देहान्त होने से सायलान व गैर सायलान संख्या एक से तीन हिस्सा बराबर काबिज है सायलान व गैरसायलान संख्या एक से तीन जिस कदर मौके पर काबिज है उसी कदर मौके पर नजरी नक्शा बनाकर दावे के साथ पेश किया जा रहा है। ग्राम खराड़ी में जमीन के नीचे खड़ी चाईना क्लै मिनरल निकली शुरू ... गैर सायल संख्या एक से तीन की नियत में फर्क आ गया और लाभ के बल पर ... के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:18:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते है चाईना क्लै वाली जमीन पर गैर सायल संख्या एक से तीन अपना हक जताते हैं बल्कि सम्पूर्ण भूमि पांचों खसरा की कृषि भूमि में सायलान व गैर सायलान संख्या एक से तीन का हिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/6 हिस्से माफिक काश्त करते आ रहे है इसी हिस्से माफिक मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है मौका अनुसार राजस्व रेकर्ड में भी बाई मिट्स बाउण्डस् से बंटवाड़ा किया जाकर मुण्डा गडी कराई जाकर खाता संख्या अलग किया जाना जरूरी है। राजस्व रेकर्ड में सीतादेवी, इन्द्रादेवी का केवल नाम केवल मात्र रोन्ग एन्ट्री से दर्ज होने से इनका राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना जरूरी है व सायलान व गैर सायल संख्या एक से तीन को 1/9 हिस्से के स्थान पर 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी। दिनांक 01.07.2011 को सायलान ने गैर सायल संख्या एक से तीन को मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा करने के लिए कहा तो गैर सायल संख्या एक से तीन ने ऐलानिया कहा कि हम किसी भी सूरत में बंटवाड़ा नहीं करेगें और कहा कि हम को उक्त जमीन का बैचान, बक्शीश, रहन, वसीयत किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को कर देगें। प्रतिवादी संख्या एक व दो आये दिन सायलान के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी करते है तथा सायलान के काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है तथा खेतों की माठे तोड़ देते है। सायलान वृद्ध व्यक्ति है इसलिए गैर सायलान से लड़ाई टन्टा नहीं कर सकते है। इसलिए अपने 1/6 हिस्से माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् किया जाना जरूरी है तथा गैर सायलान को उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि करने व सायलान के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना जरूरी है। सायलान अपने हिस्से का राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाकर अपने हिस्से की जमीन को समतल करके खाद डालकर उपजाऊ बनाना चाहते है एवं बैक से ऋण भी लेना चाहते है लेकिन गैर सायल संख्या एक से तीन ऐसा नही करने देते है। हर बात को लेकर मौके पर झगड़ा करते है यदि गैरसायलान सायलान को मौके से बेदखल करेगें या बंटवाड़ा नहीं करेगें या उक्त मुतनाजा जमीन का बैचान कर देगें तो सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेंगे तथा सायलान जैरबार हो जायेगें व विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए तब तक उक्त मुतनाजा भूमि का वादीगण द्वारा पेश किये गये नजरी नक्शा माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होता तक गैर सायलान उक्त मुतनाजा भूमि का बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत नहीं करें एवं ना नहीं सायलान के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी करें। उक्त मुतनाजा आराजी सायलान की पैतृक पुश्तैनी होने व उक्त मुतनाजा आराजी पर सायलान का कब्जा काश्त माफिक नजरी नक्शा अनुसार होने से प्रथम दृष्टियां केस सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबूत है यदि गैर सायलान केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम के आधार पर उक्त आराजी का किसी अन्य व्यक्ति के नाम बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि कर देगें तो सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेंगे तथा कब्जे को लेकर मौके पर विवाद होगा सायलान को गैर सायलान के विरूद्ध विविध प्रकार के मुकदमेंबाजी करनी पड़ेंगी जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी जिससे सायलान जैर बार होगा एवं सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायलान किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगें। शुरू से लेकर आज तक सायलान का मौके के नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए गैर सायल संख्या एक से पाँच को उक्त आराजी का बेचान, रहन, बख्शीश, वसीयत आदि करने से रोका जावे व गैर सायल संख्या छः को [illegible]तावेज पंजियन करने से व सायलान के कब्जे क़ाश्त में दखलान्दाजी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.11.12 12:18:33 IST
Reason: SelfAttested

सायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी का गैर सायल संख्या एक से पाँच किसी अन्य व्यक्ति के नाम बेचान, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि करने से एवं ऐसा दस्तावेज का पंजियन करने से गैर सायल संख्या 6 को रोका जावें एवं उक्त विवादित आराजी में सायलान अपने नजरी नक्शे मे बताये हिस्से अनुसार काश्त करें या किसी से करवायें तो उसमें गैर सायलान किसी प्रकार की दखलान्दाजी व बाधा उत्पन्न नहीं करें जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा रोका जावें।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज तलब किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण को अनेकानेक एवं अंतिम से अंतिम तथा कोष्ट राशि पर जवाब दावा पेश करने का अवसर दिया जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी एवं उस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता पूर्व अवलोकन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम-दृष्टयां मामला :- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त अविभाजित भूमि है। जमाबंदी संवत् 2066-2069, ग्राम- खराड़ी से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थीगण संख्या 04 सीतादेवी और अप्रार्थी संख्या 05 इन्द्रादेवी दोनों बहनें अपने ससुराल रहती है, अतः इनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा-काश्त नहीं है तथा अब इनकी नियत में फर्क आ गया है तथा ये मौके पर कब्जा करनें के लिए उतारू हैं, अतः इन्हें रोका जाना आवश्यक है। प्रथम तो अविभाजित संयुक्त आराजी के संबंध में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्येक सहखातेदार का अपने हिस्से तक ऐसी भूमि के प्रत्येक अंश में कब्जा होता है, द्वितीय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 जोकि इनके भाई है के संबंध में ऐसा कोई कथन कारित नहीं किया है, बल्कि केवल बहनों के विरुद्ध अनुतोष चाहा है। प्रार्थी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा है कि प्रकरण में प्रथम दृष्टयां मामला उसकें पक्ष में किस प्रकार साबित होता है, जबकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- इस बिंदू में वादग्रसत आराजी से वर्तमान में मिल रहे है हित का संतुलन किस ओर है, देखा जाता है तथा इसमें खातेदारी कृषि भूमि की दशा में कब्जा-काश्त महत्वपूर्ण बिंदू होता है। चुंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। अतः ऐसी दशा में यह विश्वास करनें का पर्याप्त आधार है कि इसके प्रत्येक अंश पर प्रत्येक सहखातेदार का अपने हिस्से तक कब्जा है अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

(03) ***अपूर्णनीय क्षति*** :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिंदू प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हो चुके हैं, साथ ही अविभाजित आराजी के संबंध में किसी भी सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उसके लिए अपूर्णनीय क्षति का कारण हो सकता, अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:18:33 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा– 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भलीभांति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 02/11/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2020.11.12 12:18:33 IST
Reason: SelfAttested